राजस्थान सरकार
निदेशालय विशेष योग्यजन
जी 3/1-ए, राजमहल होटल के पीछे, सिविल लाईन, जयपुर

क्रमांक : एफ 16(1) (/निवियो/2017/ 8143-76 जयपुर, दिनांक : 4/8/17

समस्त जिला कलेक्टर,
राजस्थान।

विषय : पं. दीन दयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर 2017 के अन्तर्गत पंजीयन कराने के दौरान जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र एवं ब्लड ग्रुप की जानकारी की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान के संबंध में।

महोदय,

माननीय मुख्यमंत्री महोदया के निर्देशानुसार राज्य में नवीन प्रकार की निःशक्तता को सम्मिलित करते हुये विशेष योग्यजनों का चिन्हीकरण, पंजीयन, प्रमाणीकरण एवं कृत्रिम अंग/उपकरणों से लाभान्वित किये जाने हेतु पं. दीन दयाल उपाध्याय विशेष योग्यजन शिविर-2017 का आयोजन तीन चरणों में किया जा रहा है। प्रथम चरंण चिन्हीकरण अन्तर्गत आज दिनांक तक लगभग 30,756 आवेदन ही प्राप्त हुये है, जो कि अभियान की धीमी प्रगति को दर्शाता है। इस संबंध में विभिन्न जिलाधिकारी द्वारा विशेष योग्यजनों के पास जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र एवं ब्लड ग्रुप की जानकारी उपलब्ध नहीं होने के फलस्वरुप पंजीयन की धीमी गति का कारण बताया गया है। अतः जाति प्रमाण पत्र, विवाह प्रमाण पत्र एवं ब्लड ग्रुप की जानकारी की अनिवार्यता में शिथिलता प्रदान की जा रही है। आपसे अपेक्षा की जाती है कि उक्त तीनों दस्तावेज व अन्य दस्तावेज (यथा-मूल निवास प्रमाण पत्र, दम्पत्ति में से किसी एक का मृत्यु प्रमाण पत्र आदि) विशेष योग्यजनों द्वारा प्रमाणीकरण के समय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी को उपलब्ध कराये जायेगें तो उन्हें भी पंजीयन में शामिल कर लिया जायेगा। आय प्रमाण पत्र के रूप में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित स्वयं की घोषणा आधारित संलग्न आय प्रमाण पत्र अपलोड करायें।

उक्त संबंध में प्रचार-प्रसार कराकर अभियान में अधिक से अधिक विशेष योग्यजनों को लाभान्वित करायें।

भवदीय,

(डॉ. समित शर्मा)
निदेशक
एवं विशिष्ठ शासन सचिव

क्रमांक : एफ 16(1) (/निवियो/2017/ 8177-210 जयपुर, दिनांक : 4/8/17

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्री राजीव गुजराल, SEMT-SPO, सूचना प्राद्यौगिकी एवं संचार विभाग, राजस्थान, जयपुर को भेजकर लेख है कि पोर्टल पर उक्तानुसार कार्यवाही कराने का श्रम करें।
2. समस्त जिलाधिकारी, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान।

निदेशक

आय का घोषणा पत्र

(पिता / माता / पति / पत्नी / संरक्षण द्वारा भरा जायेगा)

प्रारूप भाग–I

आवेदक सम्बन्धी आवश्यक सूचना(वैकल्पिक बिन्दु का चयन करे)

1 निवास स्थान का पूर्ण पताः–..

2 प्रार्थी का नाम.......... ....पिता / पति का नाम श्री.......................................आयु.......वर्ष.......माह

तह............................ जिला...................................पिन [ ][ ][ ][ ][ ][ ]

3 स्वयं / स्वयं की एवं पति की समस्त स्त्रोतोंसे सम्मिलित वार्षिक आय का विवरणः–

(1) कृषि भूमि(..............) आदि से आय रू.		(2) वृत्ति, सेवा लाभ, अनुदान, निकाय आदि से आयः रू. .....
(3) वेतन, पेंशन, भत्ते, मानदेय, नियोजन, मजदूरी आदि से आयः रू.........		(4) मशीनरी, किराये, दुकानदार, कारोबार, व्यवसाय या ब्याज, लाभांश से आयः रू. ....
(5) अन्य स्त्रोतों से आय रू.		कुल वार्षिक आयः रू. ....

मैं प्रमाणित करता / करती हूँ कि उपरोक्त विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार सही है।

दिनांक........................ ......

प्रार्थी का नाम व हस्ताक्षर

प्रारूप भाग–II

दो उत्तरदायी व्यक्तियों के साक्ष्य प्रमाण–पत्र

हम शपथ पूर्वक बयान करते है कि प्रार्थी / प्राथियॉ......................................पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री ....निवासी............ ....को भली प्रकार से जानते है। इनके द्वारा उपरोक्तानुसार की गई घोषणा के हम साक्षी है। हमारी जानकारी में उक्त वर्णित आय के अलावा प्रार्थी / प्राथियॉ के पास आय का कोई अन्य स्त्रोत नहीं है।

(1) हस्ताक्षर / उत्तरदायी व्यक्ति
नाम..
(पद नाम मय दिनांक)

(2) हस्ताक्षर / उत्तरदायी व्यक्ति
नाम..................................
(पद नाम मय दिनांक)

नोट –(उत्तरदायी व्यक्ति यथा–संसद सदस्य / विधानसभा सदस्य / जिला प्रमुख / प्रधान / जिला परिषद सदस्य / सरपंच / वार्ड पंच / महापौर / नगर निगम / नगर पालिका अध्यक्ष / उपाध्यक्ष / वार्ड पार्षद / वार्ड मेम्बर / राजकीय अधिकारी / कर्मचारी से अभिशंषा करवाए।)

प्रारूप भाग–III

मैं ....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री...शपथपूर्वक उदघोषणा करता / करती हूँ कि मेरा / मेरी एवं मेरे पति / पत्नी की(जो भी लागू) समस्त स्त्रातों से कुल वार्षिक आय रू.............अक्षरे रू. ....है। उक्त शपथ–पत्र मेरी निजी जानकारी से लिखा गया है, जो सही है। इसमें कोई तथ्य नहीं छुपाया गया है और न ही असत्य लिखा है। ईश्वर साक्षी है। इस शपथ पत्र में अंकित तथ्य एवं शपथपूर्वक उदघोषित वार्षिक आय का गलत अथवा मिथ्या होना भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

हस्ताक्षर एवं नाम शपथग्रहिता

प्रारूप भाग–IV

प्रमाणीकरण

उपरोक्त शपथकर्ता का नाम ....पिता / पति का नाम .... आयु..... ....निवासी.......... ....ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर शपथपूर्वक उक्तानुसार अभिकथन किया है, जिसे प्रमाणीकृत की पहचान ....के द्वारा की गई है।

हस्ताक्षर मय सील

प्रमाणीकरण अधिकारी
(कार्यपालक मजिस्ट्रेट / तहसीलदार / नायब
तहसीलदार / नगर निकायों के अधिकारी / नोटरी
पब्लिक / ऑथ कमिश्नर / राजपत्रित अधिकारी
/ अन्य प्राधिकृत अधिकारी) का नाम व पद मय मुहर

नोट :-

- राजस्व विभाग द्वारा दिनांक 09.08.2012 को निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत आय घोषणा भी मान्य होगी।
- आवेदक के माता / पिता / संरक्षक के राज्य / केन्द्र सरकार की सेवा में होने पर नियोक्ता द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र व गत वर्ष के फार्म 16 की प्रति संलग्न करें।